पत्रांक 020 सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18
रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश
एल0डी0ए0 कामर्शियल काम्पलेक्स, प्रथमतल,
विश्वासखण्ड - 3 गोमतीनगर - लखनऊ।
दिनांक::लखनऊ:: 28 अगस्त, 2017

आहरण वितरण अधिकारी
मुख्यालय लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती,
गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, मेरठ, औरैया,
झांसी, कानपुर नगर, फतेहपुर, सोनभद्र, सहारनपुर।

रेशम विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-8/2017/156/74-2-2016-11(ब)/2017 दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय हेतु कुल प्रावधानित धनराशि रू0 2343.59 लाख के सापेक्ष प्रथम पाँच माह हेतु (अप्रैल से अगस्त, 2017) हेतु लेखानुदान रू0 960.91 लाख एवं शासनादेश संख्या-23/2017/650/74-2-2017-11(ब)/2017 दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा रू0 1382.68 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 2343.59 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि मे से रू0 8,15,52,000/- (रूपये आठ करोड़ पन्द्रह लाख बावन हजार मात्र) का आवंटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तो के अधीन किया जाता है:-

1. जिन मदों में धनराशि आवंटित की जा रही है उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय किया जाय अर्थात किसी भी स्थिति में मद परिवर्तन न किया जाय।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/सहमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
3. आवंटित धनराशि का नियमानुसार, जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अथवा प्रतिनिधायन की सीमा के अन्तर्गत व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
4. प्रत्येक मद में आवंटित धनराशि की सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय और इसका ध्यान रखा जाय कि दायित्वों का सृजन किसी भी दशा में न होने पाये, यदि किसी प्रकार का ऋणात्मक व्यय किया जाता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
5. शासन द्वारा समय-समय पर मितव्यतता से संबंधित निर्गत निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

6. यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व ही (माह मार्च 2018 के अन्तिम सप्ताह) निश्चित रूप से निदेशालय को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता मदों में आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग प्रथमतः कार्मिकों का वेतन भुगतान हेतु ही किया जाए।
8. आवंटित की जा रही धनराशि का भुगतान संबंधित को नियमानुसार उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से E-Payment ही किया जाए।
9. आवंटित धनराशि का उपयोग वास्तविकता के आधार पर किया जाए तथा किसी भी दशा में कोषागार से धनराशि आहरित कर बैंक खाते में न रखा जाए। यदि इस प्रकार का प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होगे तथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

आवंटित धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखा शीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय -रेशम निदेशालय के सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा। इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं0-10 के वर्ष 2017-18 के आवंटन पंजिका के पृष्ठ-05 पर कर ली गई है।

<u>संलग्नक- उपरोक्तानुसार।</u>

26/08/17

(अनिल कुमार यादव)
निदेशक(रेशम)

पत्रांक 020 सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, औरैया, बस्ती, गोण्डा, लखीमपुर खीरी, फतेहपुर, सोनभद्र, कुशीनगर, पीलीभीत, मेरठ, बहराइच, कानपुर नगर, झांसी, सहारनपुर।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. कैम्प निदेशक, रेशम मुख्यालय लखनऊ।
6. व्यय सहायक, मुख्यालय-लखनऊ।
7. वरिष्ठ आडिटर मुख्यालय लखनऊ।

<u>संलग्नक- उपरोक्तानुसार।</u>

(अमितोष श्रीवास्तव)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

पत्रांक 020 /सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 दिनांक:: 28 अगस्त, 2017 का अनुलग्नक

अनुदान सं0- 10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर

03-अधिष्ठान व्यय, रेशम निदेशालय के अर्न्तगत वर्ष 2017-18 हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

(धनराशि रू0 में)

क0सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी का पदनाम	जनपद	कोषागार का नाम	आवंटित धनराशि				पूर्व में योजना के अर्न्तगत आवंटित धनराशि का योग	प्रगामी योग
				वेतन 01	मंहगाई भत्ता 03	अन्य भत्ते 06	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उप निदेशक, रेशम	रेशम निदशालय, मुख्यालय, लखनऊ	जवाहर भवन, लखनऊ	15000000	1200000	1200000	**17400000**	21624500	39024500
2	उप निदेशक (रेशम)	वाराणसी	वाराणसी	8500000	680000	680000	**9860000**	9548042	19408042
3	उप निदेशक (रेशम)	गोरखपुर	गोरखपुर	4500000	360000	360000	**5220000**	5228919	10448919
4	सहायक निदेशक (रेशम)	कुशीनगर	कुशीनगर	2000000	160000	160000	**2320000**	4541646	6861646
5	सहायक निदेशक (रेशम)	बस्ती	बस्ती	3500000	280000	280000	**4060000**	3979500	8039500
6	सहायक निदेशक (रेशम)	गोण्डा	गोण्डा	5000000	400000	400000	**5800000**	5655500	11455500
7	सहायक निदेशक (रेशम)	बहराइच	बहराइच	4000000	320000	320000	**4640000**	4575477	9215477
8	सहायक निदेशक (रेशम)	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर खीरी	1600000	130000	130000	**1860000**	3927646	5787646
9	सहायक निदेशक (रेशम)	पीलीभीत	पीलीभीत	4300000	344000	344000	**4988000**	5019755	10007755
10	सहायक निदेशक (रेशम)	मेरठ	मेरठ	4000000	320000	320000	**4640000**	4547839	9187839
11	सहायक निदेशक (रेशम)	सहारनपुर	सहारनपुर	3000000	240000	240000	**3480000**	3506725	6986725
12	सहायक निदेशक (रेशम)	औरैया	औरैया	2500000	200000	200000	**2900000**	2879500	5779500
13	सहायक निदेशक (रेशम)	झाँसी	झाँसी	2500000	200000	200000	**2900000**	2890281	5790281
14	सहायक निदेशक (रेशम)	कानपुर नगर	कानपुर नगर	4000000	320000	320000	**4640000**	4529500	9169500
15	सहायक निदेशक (रेशम)	फतेहपुर	फतेहपुर	2200000	176000	176000	**2552000**	2563670	5115670
16	सहायक निदेशक (रेशम)	सोनभद्र	सोनभद्र	3700000	296000	296000	**4292000**	4199500	8491500
	योग:-			**70300000**	**5626000**	**5626000**	**81552000**	**89218000**	**170770000**

(रूपये आठ करोड़ पन्द्रह लाख बावन हजार मात्र)

तेरह अंको का कोड नम्बर

2	8	5	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0

(अमितोष श्रीवास्तव)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Budget Allot 2017-181